संख्या-36/2025/248/35-4-2025/35-4099/44/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनाकः 18 मार्च, 2025

विषय- जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक हेतु जी०एस०टी की अवशेष धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- लखीमपुर खीरी के विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, भानपुर, श्रीनगर लखीमपुर खीरी के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0- 48/2020/521/35-4-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 के साथ पठित शासनादेश संख्या- 70/2020/735/35-4-2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत रु0 1945.60 लाख (12% जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं०- 90/2021/1036/35-4-2021, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा द्वित्तीय किश्त के रूप में रू0 772.80 लाख की धनराशि, शासनादेश सं0- 158/2022/524/35-4-2022, दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 486.40 लाख की धनराशि, शासनादेश सं0- 114/2023/195/35-4-2023/001-35-4099/18/2021, दिनांक 21 फरवरी, 2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 389.12 लाख की धनराशि तथा शासनादेश सं0- 852/2023/2632/35-4-2023/35-4099/44/2022, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा पांचवी किश्त के रूप में रू0 97.28 लाख की धनराशि सहित कुल रु0 1945.60 लाख (12% जी०एस०टी० सहित) अवमुक्त की गई है।

2- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 11.07.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रु0 1945.60 लाख (12% जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष तद्दिनांक तक रू0 1945.60 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग तद्दिनांक तक किया जा चुका है। शासन/जी०एस०टी० विभाग के आदेश सं0- 158/SE(TAS)/GST/2022/331 दिनांक 10.08.2022 द्वारा दिनांक 18.07.2022 से जी0एस0टी0 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत बढ़कर 18 प्रतिशत प्रभावी होने के कारण कराये गये कार्यों के भुगतान में 6 प्रतिशत अतिरिक्त जी०एस०टी० का भुगतान किया गया है। कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड-लखनऊ-10 के पत्र सं0- 559/W-75/10 दिनांक 29.05.2024 द्वारा 6 प्रतिशत अतिरिक्त जी०एस०टी० (वास्तविक व्यय के अनुसार) की धनराशि रू0 44,84,774.00 (वाउचर संलग्न, पेज 165 से 183 तक) की मांग की गयी थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी से शासन के पत्र दिनाक 04.02.2025 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। तत्क्रम में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या- 215/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 04.03.2025 द्वारा रू0 43.58 लाख जी०एस०टी० की संशोधित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त के आलोक में एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 43.58 लाख (रूपये तिरालिस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत (12% GST सहित)	कार्य की कुल लागत (18% GST सहित)	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य।	1945.60	1989.18	1945.60	43.58

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2020, 07.10.2020, 25.06.2021, 07.06.2022. 21.02.2023 व 12.10.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्गनत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संख्या को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नयत धनराशि आयकतानुसार आहरित कर की जायेगी और नुसारर्यायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरुप पूर्णता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया और कोई धनराशि अयुत अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समान के पक्षात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय कर महालेखाकार द्वारा सत्यापित विनियोजन विभागको प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि काय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/24/-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उनिम्ति शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिहित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 43.58 लाख (रूपये तिरालिस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2025/248(1)/35-4-2025/35-4099/44/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र01
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
11 वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
13. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखीमपुर खीरी।
14. संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।